भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2004

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

राजस्थान में विद्युतीकृत गांव

2004. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अब तक देश में कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है और राजस्थान राज्य विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे घोषित विद्युतीकृत गांवों में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण या जांच कराई है कि ऐसे परिवारों का पता लगाया जा सके कि बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर या सब-स्टेशन होने के बावजूद अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि उन गांवों के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचे जहां कुछ परिवार अभी भी बिजली के अभाव में हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच और सत्यापन तंत्र शुरू करने पर विचार कर रही है ताकि कागजों पर विद्युतीकरण से वास्तव में घरों तक बिजली पहुंच सके और यदि हां, तो इसके लिए समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, अतः सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 427 गांवों सहित (जिलावार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न) कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत तथा तत्पश्चात अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना (सौभाग्य) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में 21,27,728 घरों सहित कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों द्वारा सर्वेक्षण के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवार, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) के परिवार तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरदराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवार सहित 13.65 लाख घरों के लिए 6,521 करोड़ रुपये की ग्रिड विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है)। इसमें राजस्थान राज्य में 4.39 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 1,765 करोड़ रुपये की संस्वीकृति शामिल है। देश भर में मिली संस्वीकृति के निमित्त राजस्थान राज्य में लगभग 1.31 लाख घरों सहित अब तक कुल 4.87 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है (जिलावार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न है)।

भारत सरकार सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। चूंकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरदराज, पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में हैं, अतः आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानदंडों में छूट दी गई और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई। राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संशोधित मानदंडों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, वहां ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के अंतर्गत नई सौर विद्युत स्कीम (पीवीटीजी और जनजातीय बस्तियों/गांवों के लिए) लागू कर रहा है, जिसमें ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से चिह्नित जनजातीय बस्तियों/गांवों में पीवीटीजी और जनजातीय बस्तियों/गांवों में गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) का विद्युतीकरण शामिल है; जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

इस स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, दस राज्यों में सौर ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से 11,838 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2004

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राजस्थान में विद्युतीकृत गांवों का जिलावार विवरण:

क्रम सं.	जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अलवर	8
2	बांसवाड़ा	2
3	बारां	27
4	बाड़मेर	34
5	भरतपुर	3
6	भीलवाड़ा	2
7	बीकानेर	21
8	बूंदी	1
9	चितौड़गढ़	3
10	चुरू	3
11	दौसा	1
12	धौलपुर	9
13	डूंगरपुर	6
14	गंगानगर	5
15	हनुमानगढ़	6
16	जैसलमेर	113
17	झालावाड़	1
18	जोधपुर	43
19	करौली	8
20	नागौर	1
21	पाली	11
22	प्रतापगढ़	20
23	सवाईमाधोपुर	3
24	सीकर	1
25	सिरोही	1
26	उदयपुर	94
कुल		**427**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2004

अनुबंध-II

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये)	कुल संस्वीकृत घर	सर्वेक्षण के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले घरों	विद्युतीकृत घर
क.	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर**						
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	8.73	15,475	15,475	15,320
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	11.55	6,506	6,506	241
3	असम	785.55	706.99	195.15	127,111	133,284	41,635
4	बिहार	239.14	143.49	39.18	35,467	35,467	352
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	0.00	34,078	34,078	16,515
6	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	18.70	15,359	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	0.00	4,853	4,853	804
8	केरल	0.33	0.20	0.00	40	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	0.18	196	196	121
10	मणिपुर	214.44	193.00	0.00	36,972	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	106.25	50,501	50,501	0
12	मिजोरम	79.90	71.91	0.00	15,167	15,167	1,751
13	नागालैंड	69.55	62.59	17.09	10,004	10,004	20
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	165.58	338,702	289,033	95,106
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	122.17	251,487	251,487	42,385
	कुल (क)	**4,678.47**	**3,328.77**	**684.58**	**941,918**	**898,422**	**214,261**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**						
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0.54	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1.65	1,683	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1.07	1,154	1,154	0
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**3.26**	**2,837**	**2,837**	**0**
ग.	**पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**						
ग1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत पीवीटीजी घर**						
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	27.61	24,967	24,925	24,925
2	छत्तीसगढ	38.16	22.90	11.28	7,077	7,349	7,349
3	झारखंड	74.13	44.48	22.54	12,442	11,504	11,504
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1.11	1,615	1,546	1,546
5	केरल	0.86	0.52	0.23	345	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	51.66	30,216	28,396	28,396
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	7.87	8,556	9,216	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	11.92	17,633	16,023	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8.83	8,603	7,814	7,384
10	तेलंगाना	6.79	4.07	2.07	3,884	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	43.86	11,664	11,692	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	0.21	316	195	195
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	0.49	669	669	669

	उप योग (ग1)	**521.31**	**331.41**	**189.69**	**127,987**	**123,558**	**123,097**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल पीवीटीजी घर**						
1	गुजरात	0	0	0	0	6,626	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	0	5,738	5,721
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	3,372	3,372
	उप योग (ग2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,736**	**15,719**
ग3	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत सार्वजनिक स्थल**						
1	मध्य प्रदेश	0	0	-	25	21	21
	उप योग (ग3)	**0**	**0**		**25**	**21**	**21**
	कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	**521.45**	**331.49**	**189.69**	**128,012**	**139,315**	**138,837**
घ.	**डीए-जेजीयूए के तहत चिह्नित जनजातीय घरों का विद्युतीकरण**						
घ1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत डीए-जेजीयूए घर**						
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	5.86	4,921	5,302	5,208
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	3.37	1,938	1,938	1,866
3	बिहार	61.40	36.84	16.76	7,117	7,117	1,635
4	छत्तीसगढ	218.44	131.06	0.00	39,579	39,579	25,135
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	0.00	93	93	21
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	9.90	13,824	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	0.00	19,467	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	9.03	5,288	5,288	1,714
9	केरल	5.73	3.44	1.74	1,080	1,080	295
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	89.38	59,172	59,172	32,373
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6.97	6,961	5,228	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	37.66	82,842	82,842	19,762
13	तेलंगाना	110.73	66.44	33.58	26,525	26,525	23,748
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	17.61	7,677	7,677	7,635
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	4.91	6,867	6,867	274
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	0.00	207	207	165
	उप योग (घ1)	**1,247.50**	**790.52**	**236.76**	**283,558**	**282,206**	**125,059**
घ2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल डीए-जेजीयूए घर**						
1	ओडिशा	0	0	-	0	36,335	0
	उप योग (घ2)	**0**	**0**		**0**	**36,335**	**0**
घ3	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान**						
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	-	182	182	130
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	-	9	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	-	7	7	3
4	झारखंड	8.25	4.95	-	1,910	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	-	17	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	-	650	650	251
7	राजस्थान	0.70	0.42	-	195	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	-	672	8,208	7,940
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	-	512	512	349
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	-	30	30	7
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	-	19	19	4
	उप योग (घ3)	**18.63**	**11.92**		**4,203**	**11,739**	**8,693**
घ4	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान**						

1	ओडिशा	0	0	0	0	548	0
	उप योग (घ4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**548**	**0**
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	**1,266.13**	**802.44**	**236.76**	**287,761**	**330,828**	**133,752**
ङ.	**पीएम-अजय के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**						
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	0.96	811	811	437
2	झारखंड	6.141	3.684	0.000	1,782	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	0.000	6	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	1.860	2,012	2,012	437
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**2.82**	**4,611**	**4,611**	**877**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,521.85**	**4,507.98**	**1,117.11**	**1,365,139**	**1,376,013**	**487,727**

**मौजूदा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और कवर किए गए घरों के लिए उपलब्ध वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए संस्वीकृत कार्य*

**डीए-जेजीयूए के तहत पीएलएस में तेलंगाना विद्युतीकरण की प्रगति में आंगन वाडी केंद्र (एडब्ल्यूसी) शामिल हैं*

स्रोत: एमसी कार्यवृत्त, आरडीएसएस पोर्टल, आरईसी/पीएफसी

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2004

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत राजस्थान में घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का जिलावार विवरण:

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत घर	प्रगति
अतिरिक्त घर			
1	बांसवाड़ा	14,990	9,161
2	डूंगरपुर	4,189	4,189
3	नागौर	15,615	12,745
4	प्रतापगढ़	890	890
5	राजसमंद	9,501	9,501
6	सीकर	77	41
7	उदयपुर	34,590	22,442
8	अनूपगढ़	42,208	207
9	बालोतरा	18,999	1,797
10	बाड़मेर	26,768	3,602
11	बीकानेर	28,269	11,333
12	चुरू	42,079	2,009
13	हनुमानगढ़	13,422	444
14	जैसलमेर	32,348	451
15	जालौर	8,444	3,816
16	जोधपुर	27,791	3,301
17	पाली	1,866	350
18	फलौदी	5,460	1,920
19	सांचोर	2,543	4,587
20	सिरोही	5,747	1,414
21	श्रीगंगानगर	2,906	906
	उप-कुल	**3,38,702**	**95,106**
पीएम जनमन के अंतर्गत घर			
1	बारां	**17,633**	**16,023**
डीए-जेजीयूए के अंतर्गत घर			
1	अजमेर	33	6
2	बांसवाड़ा	2,506	200
3	भीलवाड़ा	505	10
4	चित्तौड़गढ़	4,602	146
5	डूंगरपुर	1,260	170
6	प्रतापगढ़	2,388	796
7	सलूम्बर	30	47
8	सीकर	17	12
9	उदयपुर	13,051	3,999
10	अलवर	2,132	599
11	बारां	3,735	833

12	भरतपुर	1,248	742
13	बूंदी	12,175	2,600
14	दौसा	5,617	1,474
15	धौलपुर	5,427	391
16	गंगापुर सिटी	3,476	473
17	झालावाड़	1,313	793
18	करौली	6,420	1,906
19	सवाईमाधोपुर	1,610	1,008
20	टोंक	430	755
21	बाड़मेर	3,700	2,284
22	बीकानेर	109	290
23	चुरू	2,894	0
24	जैसलमेर	2,107	0
25	जालौर	648	173
26	जोधपुर	1,311	0
27	पाली	47	0
28	सिरोही	4,246	0
उप-योग		**83,037**	**19,707**
कुल		**4,39,372**	**1,30,836**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2004

अनुबंध-IV

नई सौर विद्युत स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सौर-आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत घरों की संख्या
पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी घर		
	आंध्र प्रदेश	1531
	छत्तीसगढ़	737
	झारखंड	2182
	मध्य प्रदेश	1193
	कर्नाटक	179
	केरल	88
	तेलंगाना	126
	त्रिपुरा	1703
डीए जेजीयूए के तहत जनजातीय घर		
	अरुणाचल प्रदेश	3999
	मणिपुर	100
कुल		**11838**
